04-04-18

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित।

तामील रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा बहस मे मुख्य रूप से निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट स.1/वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दावे मे पक्षकारान के मनबर के आधार पर अर्से दराज से काबिज होने का अंकन किया गया है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय से इकतरफा मे अपीलाधीन आदेश पारित करवाये जाने का कोई आधार ही शेष नही रहता। चूंकी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण तकासमे का है ऐसमे सहखातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रतिबान्धित किये जाने का आदेश पारित किया जाना प्रथमदृष्टया ही न्यायोचित नही होता है एवं अपीलाधीन आदेश की आड़ मे रेस्पोडेन्ट स.1 द्वारा मौके पर अपीलार्थी के कब्जे काश्त मे बांधा उत्पन्न किये जाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है जिससे अपीलार्थी के कानूनी अधिकारो का हनन हो रहा है। अतः ऐसे अविधिक एवं इकतरफा मे पारित अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित करमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हमने अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जोधीदेवी / रामलाल 2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का अवलोकन किया। प्रकरण तकासमे से सम्बन्धित है जिसमे सहकृषक को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसके खाते की आराजीयात के उपयोग-उपभोग से प्रतिबन्धित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को से सन्तुष्ट होकर आदेश जेर अपील दिनांक 14/3/2018 को निरस्त करते हुये प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अधिनस्थ न्यायालय मे नियत आगामी पेशी दिनांक 13/4/2018 को आवश्यक रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। अपीलार्थी को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश दिये जाते है कि वे इस आदेश की प्रति सहित अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13/4/2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	